

पूर्वोत्तर रेलवे
कार्यालय आदेश संख्या- 7046/19

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं० ई (एन जी) 11/2007/आर०सी०-०४/कोर/1 दिनांक 16.10.2017 के अनुपालन में इन्जीनियरिंग विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की इन्जीनियरिंग विभाग में पुनर्नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 14.06.2018 को सम्पन्न समीक्षा बैठक तथा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात जारी परिणाम दिनांक 22.06.2018 द्वारा सुयोग्य पाये गये तथा वरिष्ठ मण्डल चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित चिकित्सा श्रेणी ए/3 में चश्मे के साथ सफल घोषित किये गये निम्नलिखित सेवानिवृत्त कर्मचारी का पुनर्नियोजन उनके नाम के सामने अंकित कार्यस्थल पर निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	भूतपूर्व कर्मचारी का नाम	पूर्व पदनाम	पूर्व पदस्थापना स्टेशन	सेवानिवृत्ति तिथि	65 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	पदस्थापना स्टेशन/प्रस्तावित कार्य	जिन कार्य सुयोग्य पाया गया
1	जगदीश प्रसाद पुत्र रामखेलावन	Trackman	SSE/PW/Gonda	31.07.16	31.07.21	सुभागपुर अधीन सीसेइ/पीवे/बलरामपुर	गैंग संख्या 36

उपरोक्त पर वमइ/समन्वय लखनऊ का आदेश प्राप्त है।

कर्मचारियों का पारिश्रमिक का निर्धारण बाद में किया जायेगा। सम्बन्धित प्रभारी/पर्यवेक्षक अपने अधीन पुनर्नियोजित कर्मचारी से कार्यालय आदेश में लिखे शर्तों एवं नियमों का एक शपथ पत्र लेकर उन्हें ज्वाइन कराये जिसकी एक प्रति इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

पुनर्नियोजित कर्मचारी निम्नलिखित शर्तों से शासित होंगे।

1. यह योजना दिनांक 01.12.19 तक वैध है।
2. कर्मचारियों की पुनर्नियोजन की अधिकतम आयु 65 वर्ष की होगी, यह पुनर्नियोजित पूर्णतया अस्थाई होगी।
3. रेलवे भर्ती सेल से चयनित कर्मचारियों के उपलब्ध होने या आवश्यकता न होने पर पुनर्नियोजित कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।
4. कर्मचारियों को कार्यदिवस की उपस्थिति के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
5. कर्मचारियों की सेवा का प्रतिवर्ष 01 जनवरी को मूल्यांकन किया जायेगा।
6. यदि पुनर्नियोजित कर्मचारी का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो प्रशासन उन्हें दिनांक 01.12.19 से पूर्व भी बिना सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।
7. पुनर्नियोजित कर्मचारी किसी प्रकार के अवकाश आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, एवं अर्द्ध वेतन अवकाश एवं पास पी०टी०ओ० के हकदार नहीं है।
8. पुनर्नियोजित कर्मचारी रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों से शासित होंगे।

12-2-19
सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

9. सम्बन्धित सुपरवाइजर पुनर्नियोजित कर्मचारियों की मासिक लिखित रिपोर्ट नियंत्रक अधिकारी को देंगे।
10. सम्बन्धित सुपरवाइजर पुनर्नियोजित कर्मचारी पर प्रतिदिन गहन निगरानी रखेंगे।
11. नियमित कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम व शर्तें पुनर्नियोजित कर्मचारी पर लागू नहीं होंगी।
12. पुनर्नियोजित कर्मचारी से जिस पद का कार्य कराया जायेगा उस पर उस पद के एच0ओ0ई0आर0 नियम लागू होंगे।
13. पुनर्नियोजित कर्मचारी का पुनर्नियोजित का सेवाकाल किसी भी प्रकार की सेवा में नहीं जोड़ा जायेगा।
14. कर्मचारी यदि ड्यूटी से बाहर भेजे जाते हैं तो रेलवे बोर्ड के पत्रांक एफ(ई0) 01/2015/ए0एल0-28/58 दिनांक 16.03.2017 में दिये गये निर्देशानुसार उन्हें देय दैनिक भत्ता का 60 प्रतिशत देय होगा।


(आर.के. पाण्डेय)
सकाधि/द्वितीय
कृते मंडल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)
लखनऊ

सं0 ई/11/283/5/चश्रे/इन्जी./स्था./16

दिनांक:-11.02.2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वमंविप्र/लखनऊ एवं वमंइं/सम. लखनऊ
2. समइं/पूर्व गोण्डा/उत्तर गोण्डा ।
3. सीसेइं पीवे/गोण्डा/बलरामपुर।
4. सम्बन्धित कर्मचारी।
5. मंडल मंत्री नर्मू/अजा-अजजा/ओबीसी एसो./लखनऊ


12-2-19
कृते मण्डल रेल प्रबन्धक/का0

लखनऊ।

मंडल रेल प्रबन्धक(का0) पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के पत्र सं0-का/डब्लू/283/पा
स्था0/एनईआर-एनईआर/भाग-4 दिनांक-30.01.2019 एवं मं0रे0प्र0(का0) पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल
का पत्र सं0-ई/11/283/इंजी0/चश्रे0/पार.स्था/17 दिनांक-15/19.02.18 के द्वारा अजय सिंह
पुत्र ओमप्रकाश सिंह,सीसेई/पीवे/सीवान/पश्चिम ट्रैकमेन्टेनर, IV पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल का
श्री परशुराम कुमार पुत्र श्री राम बदन महतो, ट्रैकमेन्टेनर, IV सी0से0इंजी0/पीवे/ पश्चिम/गोरखपुर
लखनऊ मण्डल पूर्वोत्तर रेलवे के साथ पारस्परिक स्थानान्तरण पर सक्षम अधिकारी के स्वीकृत प्रदान
करने के फलस्वरूप अजय सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह,सीसेई/पीवे/सीवान/पश्चिम ट्रैकमेन्टेनर, IV
पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल उक्त पत्र दिनांक-30.01.2019 द्वारा विरमित होकर इस मंडल में
पदस्थापना हेतु दिनांक-05.02.2019 को रिपोर्ट किए हैं, को श्री परशुराम कुमार पुत्र श्री राम बदन
महतो, ट्रैकमेन्टेनर, IV सी0से0इंजी0/पीवे/ पश्चिम/गोरखपुर लखनऊ मण्डल पूर्वोत्तर रेलवे के स्थान
पर पदस्थापित किया जाता है। इसकी दिनांक-05.02.2019 से कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि तक
प्रतीक्षारत डियुटी मानी जायेगी। इस दौरान कर्मचारी ने

अतः श्री परशुराम कुमार पुत्र श्री राम बदन महतो, ट्रैकमेन्टेनर, IV सी0से0इंजी0/पीवे/
पश्चिम/गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल कार्यालय के लिए विरमित कर यथाशीघ्र भेजें।

उपरोक्त पारस्परिक स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है अतएव स्थानान्तरण संबंधी लाभ देय
नहीं है। उपरोक्त पारस्परिक स्थानान्तरण के नियमों के आधार पर नियमानुसार वरीयता देय होगी।

इस पदस्थापना पर स्थानान्तरण समिति की सहमति एवं वमई(समन्वय) महोदय का अनुमोदन
प्राप्त है।

(आर0के0पाण्डेय)

सकाधि-11


कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक)

लखनऊ

दिनांक-12.02.2019

संख्या- ई/11/283/इंजी0/चश्रे0/पार.स्था/17
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मंडल रेल प्रबन्धक(का0) एवं इंजी0 पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल
- 2- वमई(समन्वय),वमंविप्र/लखनऊ
- 3- समई/पश्चिम/गोरखपुर
- 4- सी0से0ई0/पीवे/ पश्चिम/गोरखपुर
- 5- संबंधित कर्मचारी
- 6- मंडल मंत्री नरमू एवं एससी/एसटी ओबीसी/एषो0/लखनऊ


12/02/19

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक)

लखनऊ